

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक:- 460/दो-06-257/21

शिवपुरी,दिनांक-13/11/2021

श्रीमती अंशुल मंगल निगम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी का दिनांक 12.11.21 एवं 13.11.21 कुल 02 दिवस का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंशुल मंगल निगम को पुनः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमती अंशुल मंगल निगम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहते।

श्रीमती अंशुल मंगल निगम के अर्जित अवकाश लेखा में 44 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक:-<sup>B/3550</sup>...../दो-06-257/21

शिवपुरी,दिनांक-<sup>15</sup>.../11/2021

प्रतिलिपि :-

- 1- श्रीमती अंशुल मंगल निगम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी
- 2- लेखापाल/सहा. लेखापाल प्रथम/सांख्यिकी लिपिक, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म.प्र.।